भाषा का अर्थ एवं परिभाषा

भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार-विनिमय का सांकेतिक साधन है। जहाँ तक भावाभिव्यक्ति की बात है यह कार्य तो संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में करते हैं; जैसे—कुत्ते भौं-भौं करके, बिल्ली म्याऊँ-म्याऊँ करके और चूहे चूँ-चूँ करके। चिड़ियों की चीं-चीं और कू-कू किसने नहीं सुनी। छोटे से छोटे जीव में भी यह क्रिया देखी जाती है। चींटियाँ एक दूसरे से मुँह मिलाकर न जाने क्या अभिव्यक्त करती हैं, यह सभी ने देखा है। व्यापक अर्थ में संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भावाभिव्यक्ति के इन साधनों—अंग-प्रत्यंगों के संचालन, भाव-मुद्राओं और ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। इस अर्थ में संसार के सभी प्राणियों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं।

परन्तु विचार शक्ति विधाता ने केवल मनुष्य को ही दी है। वह भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ विचार भी करता है और विचार-विनिमय भी करता है। अपने आदि काल में तो मनुष्य भी केवल भावाभिव्यक्ति तक सीमित था और तब वह यह कार्य प्रायः अंग-प्रत्यंगों के संचालन, भाव-मुद्राओं और विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के माध्यम से करता था परन्तु धीरे-धीरे उसने विचार प्रधान निश्चित ध्वनि संकेतों और उन ध्वनि संकेतों के लिए निश्चित लिपि का विकास किया। आज जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मनुष्य द्वारा विकसित इन ध्वनि संकेतों से ही होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य की भाषा में अंग-प्रत्यंगों के संचालन और भाव-मुद्राओं का कोई स्थान नहीं है। भाव एवं विचारों की स्पष्टता के लिए उनका उपयोग तो स्वभावतः होता ही है और होना भी चाहिए। इस अर्थ में भाषा केवल मनुष्य की विशेषता है।

मनुष्य की भाषा की व्याख्या मुख्य रूप से समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों ने की है। समाजशास्त्रियों ने स्पष्ट किया कि भाषा का विकास सामाजिक अन्तःक्रिया द्वारा होता है और सामाजिक अन्तःक्रिया भाषा के माध्यम से होती है। इस प्रकार भाषा सामाजिक अन्तःक्रिया का आधार एवं परिणाम दोनों है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य सामाजिक

Scanned with CamScanner

समूहों में संगठित होते हैं और भाषा के द्वारा ही वे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करते हैं। भाषा मानव समाज के विकास की आधारशिला है।

मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से भाषा का जन्म मनुष्य के मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न स्वरूप हुआ है और आज उसके द्वारा मनुष्य अपने मनोवेगों, मनोभावों और विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार भाषा विचार प्रक्रिया का परिणाम एवं आधार दोनों है। विचारों से भाषा का विकास होता है और भाषा से विचारों का विकास होता है। भाषा और विचार एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं।

भाषा वैज्ञानिकों ने तो भाषा के स्वरूप, महत्त्व एवं कार्यों का बड़ा सूक्ष्म विश्लेषण किया है। उनकी दृष्टि से भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के समूह की संज्ञा भाषा है। भाषा वैज्ञानिकों ने संसार की विभिन्न भाषाओं के विकास का अध्ययन भी बड़ी बारीकी से किया है और उस सबसे वे इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि जब आवागमन के साधन नहीं थे उस समय क्षेत्र विशेष के मनुष्यों ने भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि संकेतों का विकास किया वे ही उस क्षेत्र विशेष के लोगों की भाषा बन गए। परन्तु जैसे-जैसे आवागमन के साधन बढ़े तैसे-तैसे मनुष्यों का सम्पर्क क्षेत्र बढ़ा और तब उस विस्तृत क्षेत्र की एक सर्वमान्य भाषा का विकास हुआ। अब जब मनुष्य का सम्पर्क क्षेत्र और बढ़ा तो इस एक सर्वमान्य भाषा से अनेक विभाषाओं और विभाषाओं से अनेक बोलियों का विकास हुआ। भाषा विज्ञान में सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा कहते हैं और समान विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से कई समान विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृहीत विभाषा ही भाषा कहलाने की अधिकारिणी होती है। उदाहरण के लिए हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं; जैसे—बांगरू, ब्रज, खड़ी बोली, बुन्देली, कन्नौजी (पश्चिमी हिन्दी), मेवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, जैसलमेरी (राजस्थानी हिन्दी), कुमायुँनी, गढ़वाली (पहाड़ी हिन्दी), अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी (पूर्वी हिन्दी) और भोजपुरी, मगही, मैथिली (बिहारी हिन्दी) परन्तु इनमें से पश्चिमी हिन्दी की समस्त बोलियों की प्रतिनिधि बोली खड़ी बोली है और वह इस क्षेत्र की विभाषा है और यही हिन्दी भाषी क्षेत्रों की समस्त विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा है इसलिए यही भाषा कहलाने की अधिकारिणी है। यूँ हम सामान्य प्रयोग में वाणी को भी भाषा कहते हैं; जैस— गूंगे के पास भाषा नहीं होती, बोली को भी भाषा कहते हैं; जैसे—बुन्देलखण्ड में बुन्देली भाषा बोली जाती है; विभाषा को भी भाषा कहते हैं; जैसे—रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है और सामान्य भाषा को भी भाषा कहते हैं; जैसे संसार में अनेक भाषाएँ हैं, परन्तु भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन सबमें भेद होता है और भाषाविज्ञों को इन सब शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।

भाषा के सम्बन्ध में भाषा वैज्ञानिकों ने दो तथ्य और स्पष्ट किए। पहला यह कि किसी भी भाषा की बोलियों में भेद होते हुए भी आधारभूत समानता होती है। उनका शब्दकोश, काल रचना, कारक रचना, लिंग भेद आदि सब समान होते हैं। और शब्दों के रूप में जो अन्तर होता है उसे सरलता से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए हिन्दी भाषा (खड़ी बोली) के शब्द मेरा के लिए ब्रजबोली में मेरो, अवधी में मोर और बुन्देली में हमरो शब्द का प्रयोग होता है लेकिन इन सब शब्दों में इतनी समानता है कि कोई भी हिन्दी भाषा-भाषी

Scanned with CamScanner

व्यक्ति इन्हें सरलता से समझ सकता है। और दूसरा तथ्य उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जहाँ तक मौखिक अभिव्यक्ति की बात है प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र की बोली का प्रयोग होता है परन्तु लिखित रूप में भाषा का ही प्रयोग होता है। शिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति तो बोलचाल में भी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि बोलियाँ भाषा को कर रूप में शब्दावली अवश्य प्रदान करती रहती हैं।

भाषा की परिभाषा

संसार में भाषा की व्याख्या सर्वप्रथम संस्कृताचार्यों ने की। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के प्रणेता माने जाते हैं। उनके बाद इस क्षेत्र में वार्तिककार, कात्यायन और पतंजलि ने कार्य किया। पतंजलि ने भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है—

भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।

[व्यक्ता वाचि वर्णा येषां त इमे व्यक्तवाच्—पतंजलि]

आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रणेता अंग्रेज माने जाते हैं। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक स्वीट महोदय ने भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है—

भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के विचारों की अभिव्यक्ति है।

[Language is the expression of thought by speech sound—Sweet]

अंग्रेज विद्वान ब्लोच और ट्रेगर ने भाषा सम्बन्धी समाजशास्त्रीय तथ्यों को सामने रखकर भाषा को परिभाषित किया है। उनके शब्दों में—

भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह सहयोग एवं अन्तःक्रिया करता है।

[Language is the system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperate and interact—Bloch and Tragar]

हमारे देश में आधुनिक काल में भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है। भारतीय भाषा-वैज्ञानिकों की दृष्टि से—

विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनि संकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।

भाषा सम्बन्धी उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता कि पतंजलि तथा स्वीट महोदय द्वारा दी गई परिभाषाओं में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यथा ध्वनि संकेतों का विकास समाज में समाज द्वारा होता है। इन परिभाषाओं से बोली, विभाषा और भाषा का अन्तर भी स्पष्ट नहीं होता।

ब्लोच और ट्रेगर द्वारा प्रस्तुत भाषा की परिभाषाओं से भी बोली, विभाषा और भाषा का भेद स्पष्ट नहीं होता। यही कमी भारतीय भाषा वैज्ञानिकों की परिभाषा में है। इन परिभाषाओं में भाषा के विकासशील होने का संकेत भी नहीं है। इस प्रकार भाषा की ये सभी परिभाषाएँ अपने में अधूरी हैं। भाषा की सही परिभाषा तो वह होगी जिसमें भाषा के स्वरूप एवं कार्य दोनों का स्पष्ट बोध हो और जिससे बोली, विभाषा और भाषा का भेद भी स्पष्ट हो। हमारी दृष्टि से भाषा को अग्रलिखित रूप में परिभाषित करना चाहिए—

Scanned with CamScanner

यहाँ यह बात स्पष्ट रूप से समझने की है कि हिन्दी उच्चारण प्रधान भाषा है—इसमें जैसा उच्चारण किया जाता है ठीक वैसा ही लिखा जाता है इसलिए उच्चारण में दोष आते ही वर्तनी में दोष आ जाता है इसलिए हिन्दी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्त्व है।

हिन्दी भाषा की वाक्य रचना में जितना महत्त्व शब्दों का है उतना ही महत्त्व विराम चिह्नों का है। विराम चिह्नों के प्रयोग में थोड़ी-सी चूक होने पर ही अर्थ बदल जाता है; जैसे 'रोको मत जाने दो' और 'रोको मत, जाने दो' में। एक दूसरा उदाहरण देखिए—'वह यहाँ क्यों आया है?' और 'वह यहाँ क्यों आया है!'

भाषा के मूल आधार

जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य भाषा के मौखिक एवं लिखित, दोनों रूपों से होता है। इस रूप में भाषा के मूल आधारों को भाषा वैज्ञानिकों ने दो वर्गों में विभाजित किया है—भौतिक आधार और मानसिक आधार।

भाषा के भौतिक आधार

भाषा के भौतिक आधार के अन्तर्गत, भाषा के मूल तत्त्व (अक्षर, शब्द, वाक्य, लिपि एवं विराम चिह्न), ध्वनियों को उच्चारण करने वाले अंग (फेफड़े, कण्ठ, मुख विवर और नाक), ध्वनियों को सुनने वाले अंग (कान), ध्वनि संकेतों को धारण करने वाली सामग्री (तख्ती, स्लेट एवं कागज), ध्वनियों को लेखबद्ध करने वाली सामग्री (लेखनी एवं स्याही) और लेखबद्ध भाषा का पठन करने वाले अंग (आँख, फेफड़े, कण्ठ, मुख विवर और नाक) आते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मानव समाज में उसकी भाषा का विकास सामाजिक अन्तःक्रिया द्वारा हुआ है और आज भी मनुष्य भाषा को सामाजिक अन्तःक्रिया द्वारा ही सीखता है। इतना ही नहीं अपितु किसी भी भाषा का विकास सामाजिक अन्तःक्रिया द्वारा होता है और सामाजिक अन्तःक्रिया के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक होता है। तब कहना न होगा कि सामाजिक पर्यावरण भी भाषा का मूल आधार होता है। भाषा को सीखने के लिए जिस सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है वह भी भाषा के भौतिक आधार के अन्तर्गत आता है। यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिए कि किसी भी मानव समाज की भाषा का सम्बन्ध उसकी संस्कृति से होता है और किसी समाज की भाषा एवं संस्कृति एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। तब कहना न होगा कि समाज विशेष की संस्कृति भी उसकी भाषा का मूल आधार होती है।

भाषा के मानसिक आधार

भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार-विनिमय का सांकेतिक साधन है। तब कहना न होगा कि मनुष्य के मनोवेग, मनोभाव एवं विचार उसकी भाषा के मूल आधार होते हैं। और चूँकि मनुष्य के मनोवेग, मनोभाव एवं विचारों का सम्बन्ध उसके मन-मस्तिष्क से होता है इसलिए इन्हें भाषा के मानसिक आधार कहा जाता है। यदि और ध्यानपूर्वक सोचा-समझा जाए तो स्पष्ट होगा कि भाषा के भौतिक आधार भी भाषा के इन मानसिक आधारों पर निर्भर करते हैं। भाषा के सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रिया तब तक शुरू नहीं होती जब तक मनुष्य का मन-मस्तिष्क इनके लिए तैयार नहीं होता। हमारी समस्त कर्मेन्द्रियाँ एवं ज्ञानेन्द्रियाँ, मन-मस्तिष्क

Scanned with CamScanner

से ही संचालित होती हैं। मन, मस्तिष्क, मनोवेग, मनोभाव और विचार ये सब भाषा के मानसिक आधार हैं। भाषा वैज्ञानिक विचार को भाषा की आत्मा और शब्द को भाषा का शरीर मानते हैं। इनमें से किसी के अभाव में भी भाषा के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

भाषा की प्रकृति

भाषा के संदर्भ में उपरोक्त तथ्य जान लेने के बाद हम उसकी प्रकृति को सरलता से समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल मनुष्यों की भाषाओं से होता है और वह भी ध्वनि संकेतों की उस भाषा से जो लिपि का वरदान प्राप्त कर लिखित रूप धारण करती है। मनुष्य की इस भाषा का मूल आधार विचार होते हैं। इस भाषा को मनुष्य समाज के बीच रहकर सामाजिक अन्तःक्रिया द्वारा सीखता-सिखाता है। और इस भाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें सदैव परिवर्तन एवं विकास होता रहता है। मनुष्य की भाषा की यही प्रकृति है। भाषा की इस प्रकृति को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं—

1. भाषा मानव की विशेषता है—जहाँ तक भावाभिव्यक्ति की बात है यह कार्य संसार के सभी प्राणी करते हैं और अपने-अपने तरीकों से करते हैं। सामान्यतः इन्हीं तरीकों को उनकी भाषा कहते हैं। पर वे अपनी इस भाषा में विचार-विनिमय नहीं कर पाते और विचार के अभाव में अपनी भाषा में विकास नहीं कर पाते। विचारप्रधान एवं विकासशील भाषा तो मनुष्य की ही विशेषता है।

2. भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार-विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का समूह है—भाषा की उत्पत्ति मनुष्य के मनोभावों को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न से हुई है और उसका विकास विचार-विनिमय के द्वारा निरन्तर होता रहता है। यह भावाभिव्यक्ति एवं विचार-विनिमय का साधन होती है। हम जानते हैं कि मनुष्य यह भावाभिव्यक्ति एवं विचार-विनिमय ध्वनि संकेतों के माध्यम से करते हैं। ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा विकसित एवं स्वीकृत होते हैं।

3. भाषा और विचार में अटूट सम्बन्ध होता है—यूँ भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रयत्न में मनुष्य ने भिन्न-भिन्न ध्वनि संकेतों (भाषा) का विकास किया है परन्तु यह भी बात सत्य है कि जैसे-जैसे मनुष्य भाषा सीखता जाता है और उसकी भाषा में विकास होता जाता है तैसे-तैसे वह विचार करने और विचार-विनिमय करने में भी सक्षम होता जाता है। इस प्रकार भाषा एवं विचारों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। सच बात तो यह है कि विचारों के अभाव में भाषा की उत्पत्ति एवं विकास नहीं हो सकता और भाषा के अभाव में विचारों की उत्पत्ति एवं विकास नहीं हो सकता। इन दोनों में अटूट सम्बन्ध होता है।

4. भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है—मनुष्यों की सभी भाषाओं में वाचिक प्रतीकों की अपनी-अपनी व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा की अपनी मूल ध्वनियाँ (अक्षर, वर्ण) हैं, अपने शब्द हैं और अपनी-अपनी वाक्य रचना है। भाषा सम्बन्धी ये नियम निश्चित होते हुए भी लचीले होते हैं और भाषा के विकास के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन होता रहता है।

Scanned with CamScanner